

## **सराहनीय कार्य जनपद अलीगढ़**

**\*प्रेस नोट थाना हरदुआगंज, अलीगढ़ दि०- 03.07.22\***

**\*ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना हरदुआगंज पुलिस टीम ने एक सटोरिया किया गिरफ्तार, कब्जे से रुपये व सट्टा पर्ची बरामद।\***

### **\*पुलिस कार्यवाही का विवरण\***

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद अलीगढ़ द्वारा अपराध की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना हरदुआगंज पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर टावर वाली गली पुलिया के पास अभियुक्त बादाम सिंह पुत्र टीकाराम निवासी मौ० अबुल फजल कस्वा जलाली थाना हरदुआगंज, अलीगढ़ को एक सट्टा डायरी, एक कलम व 3200 रू० सहित गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना पर मु०अ०सं० 195/22 धारा 13 जुआ अधि० (सट्टा) पंजीकृत किया गया।

### **\*गिरफ्तार अभियुक्त\***

बादाम सिंह पुत्र टीकाराम निवासी मौ० अबुल फजल कस्वा जलाली थाना हरदुआगंज, अलीगढ़

### **\*बरामदगी\***

एक सट्टा डायरी

एक कलम

3200 रू०

### **\*पुलिस टीम\***

1. उ०नि० श्री अरविन्द कुमार
2. है०कां० 499 मनोज कुमार
3. कां० 234 गौरव कुमार



□ अलीगढ़ पुलिस □

➡ □ ऑपरेशन प्रहार के तहत 03 शातिर हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध हुई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन में थाना अकराबाद पुलिस द्वारा 03 शातिर हार्डकोर अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही की गई है।

थाना अकराबाद- मु0अ0सं0- 267/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट

नाम पता अभियुक्त

1. वकील पुत्र गरीब खाँ निवासी मौ0 सराय इन्तजाम अली पिलखना थाना अकराबाद, अलीगढ़(गैंग लीडर)

आपराधिक इतिहास:-

i. मु0अ0सं0 72/2022 धारा 8/20 बी व 2/60 एनडीपीएस एक्ट थाना अकराबाद

2.सलीम पुत्र मौहम्मद निवासी जोगियो वाली गली मौ0 जमालपुर थाना देहलीगेट,  
अलीगढ़

आपराधिक इतिहास:-

i. मु0अ0सं0 72/2022 धारा 8/20 बी व 2/60 एनडीपीएस एक्ट थाना अकराबाद

3.साबिर पुत्र अली मौहम्मद निवासी ग्राम नानऊ थाना अकराबाद, अलीगढ़

आपराधिक इतिहास:-

i. मु0अ0सं0 72/2022 धारा 8/20 बी व 2/60 एनडीपीएस एक्ट थाना अकराबाद

**!!** विदित है कि एसएसपी महोदय द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों को शातिर व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्यवाही जारी रखने हेतु पूर्व से ही निर्देशित किया गया है ।